मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल
दूरभाष क्र. 0755–2550091

द्वितीय बैठक

मनरेगा अंतर्गत वित्त वर्ष 2011–12 में राशि जारी करने संबंधी एप्राईज़ल कमेटी की द्वितीय बैठक दिनांक 01.10.11 का कार्यवाही विवरण।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पत्र क्र. 9333 दिनांक 24.09.11 एवं 9481 दिनांक 29.09.11 के तारतम्य में दिनांक 01.10.11 को राजगढ़, छिन्दवाड़ा सिवनी, सीधी, रतलाम एवं अशोक नगर के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक उपस्थित हुए। उपस्थित अधिकारियें की सूची पत्र के साथ परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। एप्राईज़ल कमेटी के सदस्यों में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9334 NREGSMP वित्त एवं लेखा/2011 दिनांक 24.09.11 एवं 9482 दिनांक 29.09.11 में अंकित सदस्य उपस्थित हुए। परिशिष्ट 02।

निम्न क्रमवार जिलों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि मांग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रस्ताव प्रपत्रों में छिंदवाड़ा को छोडकर शेष जिलों के प्रस्ताव में परिषद् के पत्र क्र. NREGS-MP वित्त एवं लेखा 2011/6612 भोपाल दिनांक 22.6.2011 के अनुसार कतिपय संलग्नक नहीं पाये गये जिनका की उल्लेख जिले के अंतर्गत किया गया है। परिषद् के पत्र दिनांक 22.6.2011 के पालन हेतु निरंतर निर्देश दिये गये हैं परन्तु जिले इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहें हैं, जिलों को निर्देश दिये गये कि पत्र दिनांक 22.6.2011 के तारतम्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अनिवार्य रूप से निर्दशित क्रम में ही संलग्नक लगाऐं एवं सलग्नकों की पेंजिंग एवं Indexing भी निम्नानुसार करें। यह भी सुनिश्चित किया जाये की प्रस्ताव एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से हों –

संबंधित दस्तावेज	पृष्ठ क्र. ..... से ..... तक

1.10.11
JCFA

जिला राजगढ़

- जिले के प्रस्ताव में लेबर बजट की कापी, शिकायतों संबंधी स्थिति, सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति नही पायी गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।
- सीए ऑडिट रिपोर्ट वित्त वर्ष 2010–11 प्रस्तुत करने हेतु 07 दिवस का समय दिया गया।
- जिले द्वारा एमआईएम की प्राप्तियॉ में अन्तर पाया गया, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताया गया कि त्रुटियॉ को दूर कर लिया जायेगा।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा कहा गया कि तीन जनपदों में मोबाईल बैंक के द्वारा मजदूरी भुगतान में कोई समस्या नहीं है परन्तु जिलें को कहा गया कि पुनः जॉच कर जानकारी से अवगत कराये।
- दिनांक 31 अक्टूबर 2011 तक 25.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 57.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 25.00 करोड़ जोड़ते हुये 82.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- आश्वासन क्र. 435 एवं याचिका क्र. 1874 अप्राप्त है तत्काल जानकारी दी जाये।
- वित्त वर्ष 2007–08 की ऑडिट रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन अप्राप्त है। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुनिश्चित करें कि सभी ऑडिट रिपोर्ट का पालन प्रतिवेदन परिषद् को प्रेषित किया गया है।
- पदों की रिक्तता के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इंगिति दी गई। इस संबंध में परिषद् स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- जिले के व्यय का आंकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 35 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला छिन्दवाड़ा

- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि 3.00 करोड़ के व्यय एमआईएस में अपलोड़ नहीं हो पा रहे है जिसकी कार्यवाही सिस्टम एनालिस्ट द्वारा एक सप्ताह में सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन बैठक में दिया गया।

1.10.11

JCFA

- संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा द्वारा अवगत कराया गया कि जिले द्वारा ऑडिट रिपोर्ट की एन्ट्री ओनलाईन ऑडिट एवं फायनेनशियल मेनेजमेंट के साफ्टवेयर में नहीं की गई है जिस पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आस्वस्त किया गया है एक सप्ताह में सम्पूर्ण कार्यवाही कर ली जावेगी। मूल ऑडिट रिपोर्ट एंव तद्नुसार पालन प्रतिवेदन अंकित किया जाये।

- दिनांक 31 अक्टूबर तक 20.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 40.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 20.00 करोड़ जोड़ते हुये 60.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। MIS में निरंतर गति रखी जाये इस हेतु कहा गया जिले द्वारा इस संबंध में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 60 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला सिवनी

- जिले के प्रस्ताव में लेबर बजट शिकायत की स्थिति, सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति एवं 20 बिन्दु का सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया। जिले को इस हेतु निर्देशित किया गया। 20 बिन्दु का सर्टिफिकेट अनिवार्य है इसको जिले द्वारा PPT प्रेजेंटेशन में दिखाया गया। इसकी प्रति प्राप्त कर संबंधित जिले के प्रस्ताव में लगाई गई। जिले को निर्देशित किया गया कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जायें।

- संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा द्वारा अवगत कराया गया कि 14.00 करोड़ का अन्तर वर्ष 2010–11 प्रारंभिक शेष में परिलक्षित है जिसको अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा मान्य करते हुये अवगत कराया गया कि वित्त वर्ष 2010–11 की ऑडिट रिपोर्ट में उक्त राशि में से 10.00 करोड़ की राशि का समायोजन करा लिया गया है। शेष राशि को वित्त वर्ष 2010–11 के अंतिम शेष दर्शाया जायेगा। परिषद् स्तर से इस संबंध में सिवनी जिले के अग्रिम के नियमानुसार लेखांकन हेतु विशेष दल भेजकर कार्रवाई पर विचार किया गया।

- दिनांक 31 अक्टूबर तक 20.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 43.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 20.00 करोड़ जोड़ते हुये 63.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1.12.11

JCfA

- पदों की रिक्तता के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इंगिति दी गई। इस संबंध में परिषद् स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- 07 दिवस के अंदर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये। यद्यपि संबंधित सीए को परिषद् स्तर से भी निर्देशित किया जायेगा।

- सीएम मॉनिट के 03 प्रकरण आश्वासन के 02 प्रकरण नम्बर 448 एवं 462 जिले द्वारा कार्रवाई कर उपलब्ध नहीं कराये है। तत्काल कार्रवाई कर उपलब्ध करावें।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 40 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला सीधी

- जिले के प्रस्ताव में शिकायत सामाजिक अंकेक्षण की प्रति नहीं पायी गई। जिले को निर्देश दिये गये कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जाये।

- जिले के प्रस्ताव एंव परिषद् में अंकित प्रारंभिक शेष में रू. 20.00 करोड़ का अंतर पाया गया। जिले को निर्देश दिये गये कि तत्काल ऑडिट रिपोर्ट 2010–11 प्रस्तुत करें। उस रिपोर्ट में यह अंतर स्वयं ही समायोजित होकर शुद्ध स्थिति सामने आयेगी।

- दिनांक 31 अक्टूबर तक 10.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 19.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 10.00 करोड़ जोड़ते हुये 29.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- पदों की रिक्तता के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इंगिति दी गई। इस संबंध में परिषद् स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 15.10.2011 तक मुख्यालय में जमा कर दी जावेगी।

- भारत सरकार शिकायत के 03 प्रकरण न. 2261, 2414, 2415 एवं आश्वासन के 03 प्रकरण न. 526, 315, 498 तत्काल जिला कार्रवाई कर परिषद् को अवगत कराये। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अवगत कराया गया कि 15 अक्टूबर 2011 तक लंबित शिकायतों को पूर्ण जॉच कर जॉच रिपोर्ट मुख्यालय में जमा करा दी जावेगी।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 35 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

JCFA

जिला रतलाम

- जिले के प्रस्ताव में लेबर बजट, शिकायत, सामाजिक अंकेक्षण की प्रति नहीं पायी गई। निर्देश दिये गये कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जाये।

- दिनांक 31 अक्टूबर तक 10.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 28.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 10.00 करोड़ जोड़ते हुये 38.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 की ऑडिट रिपोर्ट आज दिनांक 10.10.2011 को परिषद् मुख्यालय में जमा कर दी जावेगी।

- भारत सरकार की शिकायत क्र. 2412 पर जिला तत्काल कार्रवाई कर तत्काल सूचित करे।

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 25 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

जिला अशोकनगर

- जिले के प्रस्ताव में शिकायत निराकरण की प्रति नहीं पायी गई निर्देश दिये गये कि भविष्य में उचित प्रकार से ही निर्देशानुसार प्रस्ताव भेजे जाये।

- दिनांक 31 अक्टूबर तक 5.00 करोड़ की एमआईएस सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर ली जावेगी। आज दिनांक तक 10.00 करोड़ एमआईएस में दर्शित है 5.00 करोड़ जोड़ते हुये 15.00 करोड़ दिनांक 31.10.2011 एमआईएस में व्यय सुनिश्चित हो जायेगा व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- पदों की रिक्तता के संबंध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इंगिति दी गई। इस संबंध में परिषद् स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2010–11 की ऑडिट रिपोर्ट आज दिनांक 10.10.2011 को परिषद् मुख्यालय में जमा कर दी जावेगी।

- भारत सरकार की शिकायत 2438/2298 पर जिले में कार्रवाई लंबित है तत्काल प्रतिवेदन भेंजे।

1.10.11

JCFA

- जिले के व्यय का आकलन करते हुए जिले के प्रस्ताव पर रूपए 10 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की गई।

इसी के साथ निम्न निर्देश दिये गये –

1. जिले के प्रशासनिक व्यय के संबंध में नमूना के तौर पर MIS में दर्ज प्रविष्टियों को दिखाया गया व्यय के सही वर्गीकरण हेतु एवं सही MIS हेतु निर्देशित किया गया।
2. वित्त वर्ष 2010–11 की सीए ऑडिट रिपोर्ट के प्रारंभिक शेष को तत्काल MIS में अंकित किया जाये।
3. SQM एवं ऑडिट की कण्डिकाओं का पालन जिले तत्काल सुनिश्चित कर परिषद को प्रेषित करें।
4. संकल्प संबंधित कोई भी बिन्दु जिले में लंबित न रखा जाऐ।
5. मानव दिवस में गिरावट न हो एवं योजना संचालन सफलता पूर्वक हो। इस गिरावट के कारणों की सूक्ष्मता से वर्यवेक्षण करें।
6. 60 : 40 का अनुपात का संधारण हो।
7. औसत मजदूरी भुगतान की स्थिति पर नियंत्रण रखें।
8. ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यय पर नियमानुसार परीक्षण करें। कार्यों के कंटिनजेंसी व्यय का सही उपयोग हो इस हेतु ध्यान आकर्षित किया गया। ग्राम पंचायतों को वर्तमान में प्रशासनिक व्यय अनुमत्य नहीं है एवं जिन मदों में अनुमत्य है वह जनपद के प्रशासनिक व्यय पर ही समायोजित होगा।
9. ऑडिट एवं फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट के सॉफ्टवेयर में समस्त आकड़ें तत्काल अंकित किए जाऐं। इसी प्रकार मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के सॉफ्टवेयर में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आकड़े अंकित करना सुनिश्चित करें।
10. भविष्य में जिले अपनी मांग प्रस्ताव भेजने समय मासिक लेबर बजट के विरूद्ध कितना व्यय हुआ एवं जो प्रस्ताव है वह किस प्रकार मासिक लेबर बजट से सुसंगत है इस को भी अंकित कर स्पष्ट रूप से राशि का प्रस्ताव रखा करें।
11. जिलों को यह भी निर्देशित किया गया जिन ग्राम पंचायतों में अत्याधिक वित्तीय संव्यवहार हो रहें हैं उनके संबंध में सूक्ष्म अनुश्रवण किया जाऐ।

आयुक्त मनरेगा एवं अध्यक्ष एप्राइज़ल कमेटी द्वारा अनुमोदित।

1.10.11

(डॉ. राजीव सक्सेना)
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

पृ.क्रमांक / 9627 /NR-18/MGNREGS-MP /11 भोपाल, दिनांक 04/10 /11

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त पंचायती राज संचालनालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्री ब्रजेश कुमार उप सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभिंयंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य अभियंता मनरेगा मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा) मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. श्री एम0के0 जैन अधीक्षण यंत्री मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
10. सिस्टम एनालिस्ट मध्यप्रेदश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला राजगढ़, छिन्दवाड़ा, सिवनी, सीधी, रतलाम एवं अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, छिन्दवाड़ा, सिवनी, सीधी, रतलाम एवं अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1.10.11

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
एवं सदस्य सचिव एप्राइज़ल कमेटी

परिशिष्ट - 1

एप्राइजल कमेटी की द्वितीय बैठक में उपस्थित अधिकारियों का पंजीयन

दिनांक 01.10.2011

क्र	जिला	नाम	पदनाम	मो/फोन	हस्ताक्षर
1.	सीधी	डॉ जगदीश जाटिया	CEO, ZP	9425151935	
2.	अशोक नगर	विशाल श्रीवास्तव	वरिष्ठ SPT मैनेजर	9826264839	
3.	अशोकनगर	अमिताभ सिरवैया	CEO ZP	9425133692	
4.	अशोकनगर	श्री आर. एल. चौहान	A.O NREGS	9179626080	
5.	राजगढ़	अखिलेश द्विवेदी	M.O. (NREGS)	9713130110	
6	राजगढ़	वाय. एल. नेगी	E.E. (R.E.S)	94240-05462	
7.	सीधी	महेश कुशवाह	Manager	9300912827	
8	अशोकनगर	जी०पी० दीवान	E.E. RES.	9993155674	
9	सिवनी	वी.पी. रघुवंशी	E.E. R.E.S	8989136433	
10	छिंदवाड़ा	आर.पी. बाबू	E.E (RES)	9826432725	
11	रतलाम	अर्जुनसिंह डाबर	CEO ZP	9425084964	1/10/11
12	रतलाम	दिनेश करवल्ला	E.E. RES	9425103883	1/10/11

एप्राइजल कमेटी की द्वितीय बैठक में उपास्थित अधिकारियों का पंजीयन

दिनांक 01.10.2011

क्र	जिला	नाम	पदनाम	मो / फोन	हस्ताक्षर
1	सिवनी	संकेत भोंडवे	मु. का. अधि. जिला पंचा	9425818855	[signature]
2	— " —	नीलेश जैन	लेखाधिकारी	9893003377	[signature]
3.	Rajgarh.	Dr Madhu Teotia	CEO ZP Rajgarh	9893920072	[signature] 01.10.11
4	Chhindwara.	Swati Meena.	CEO ZP Chhindwara	9009176020	[signature]

परिशिष्ट 02

उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री नीरज मण्डलाई	आयुक्त, मनरेगा
4	श्री बृजेश कुमार	उप सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
2	श्री घनश्याम सिंह	संयुक्त संचालक वित्त आयुक्त पंचायत राज के प्रतिनिधि
3	श्री एच.पी. शिवहरे	मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
5	डॉ. श्री राजीव सक्सेना	संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा), मनरेगा
6	श्री प्रद्युम्न शर्मा	संचालक, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मनरेगा
	श्री एम.के. जैन	अधीक्षण यंत्री, मनरेगा
7	श्री उवेस अहमद	सिस्टम एनालिस्ट, मनरेगा